न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 52/2016 अपील
पंजीयन दिनांक– 13.06.2016
निर्णय दिनांक – 14.11.2017

1. श्री रामा पिता भज्जा जी मीणा, निवासी उमरड़ा तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
2. श्री नाथु, प्रभु पिता वेणा जी मीणा, निवासी उमरड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।

–अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती दोली बाई पिता गेबा जी मीणा पत्नी उमा जी मीणा, निवासी उमरड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर हाल निवासी गांव गाडुवा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर।
2. श्रीमती लक्ष्मीबाई पवुत्री धनराज जी मीणा, निवासी दैत्य मगरी, उदयपुर, तहसील गिर्वा जिला उदयपुर।

–रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित–
1– श्री सम्पतलाल बोहरा – अधिवक्ता अपीलान्ट

अपील अर्न्तगत धारा–76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय जिला कलक्टर उदयपुर प्रकरण संख्या 52/2014 निर्णय दिनांक 26.04.2016.

निर्णय

दिनांक : 14.11.2017

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–76 के अन्तर्गत न्यायालय जिला कलक्टर उदयपुर, प्रकरण संख्या 52/2014 निर्णय दिनाक 26.04.2016. के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि मौजा उमरड़ा में खाता संख्या 127 की आराजी नं. 6646 रकबा 0.0800 है., आ.नं.6647 रकबा0.0700 है. कुल किता–2 रकबा 0.1500 है. के गेबा, रामा, वेणा पिता भज्जा का 1/4 हिस्सा होकर वे इसके

कोपार्सनर थे। खाता संख्या 128 के आराजी नम्बर 6644 रकबा 0.0800 है. व आराजी नम्बर 6645 रकबा 0.1000 है. कुल किता–2 रकबा 0.1800 है. के गेबा, रामा, वेणा पिता भज्जा जी मीणा3/8 हिस्से के कोपार्सनर थे। इसी प्रकार खाता संख्या 299 की आराजी नं.6111 रकबा 0.1000 है., 6115 रकबा 0.0650 है.,आराजी नं. 6116 रकबा 0.0550 है., आ.नं.6117 रकबा 0.0700 है. कुल किता 4 रकबा 0.2900 है. भूमि स्थित है, जिसमें गेबा, रामा, वेणा पिता भज्जा कोपार्सनर होकर 3/4 हिस्सा है। खातेदार गेबा फौत होन से विरासत का नामान्तरकरण संख्या 796 दिनांक 04.01.2008 तहसीलदार गिर्वा द्वारा स्वीकृत किया गया। उक्त नामान्तरकरण की प्रथम अपील न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर में पेश की गई। जिला कलक्टर, उदयपुर ने दिनांक 26.04.2016 को अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने का आदेश पारित किया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस सूचित किया गया। एवं तहत का अभिलेख मंगाया गया। वकील अपीलान्ट उपस्थित। रेस्पोंडेन्ट पक्ष से कोई उपस्थित नहीं। वकील अपीलान्ट की एकतरफा बहस दिनांक 24.10.2017 को सूनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा–2(2) के विपरीत होकर काबिल निरस्त के है, ऐसे मामलें में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होकर केवल ओल्ड हिन्दू लॉ ही लागू होता है तथा ओल्ड हिन्दू लॉ के अनुसार पुत्रियों का कोई अधिकार नहीं लगता है तथा किसी एक कोपार्सनर के स्वर्गवास होने पर दुसरे कोपार्सनर मालिक काबिज हो जाते है। परन्तु लडकियां उस समय न तो कोपार्सनर होती थी न तो मालिक काबिज ही हो सकती है। अगर किसी मेल पुरूष के मरने पर उसके कोई लड़का नहीं है तो भी लड़कियां मालिक नहीं होती है, केवल मात्र भाई ही मालिक होते है। शिड्यूल ट्राईब यह हिन्दू उत्तराधिकार के प्रावधान लागू नहीं होते है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार किए बिना ही आदेश पारित कर दिया जो कि काबिल निरस्त है।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं सम्बन्धित पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मौजा उमरड़ा में खाता संख्या 127 की आराजी नं. 6646 रकबा 0.0800 है., आ.नं. 6647 रकबा 0.0700 है. कुल किता–2 रकबा 0.1500 है. के गेबा, रामा, वेणा पिता भज्जा का 1/4 हिस्सा होकर वे इसके कोपार्सनर थे। खाता संख्या 128 के आराजी नम्बर 6644 रकबा 0.0800 है. व आराजी नम्बर 6645 रकबा 0.1000 है. कुल किता–2 रकबा 0.1800 है. के गेबा, रामा, वेणा पिता भज्जा जी मीणा 3/8 हिस्से के कोपार्सनर थे। इसी प्रकार खाता संख्या 299 की आराजी नं.6111 रकबा 0.1000 है., 6115 रकबा 0.0650 है.,आराजी

नं. 6116 रकबा 0.0550 है., आ.नं. 6117 रकबा 0.0700 है. कुल किता 4 रकबा 0.2900 है. भूमि स्थित है, जिसमें गेबा, रामा, वेणा पिता भज्जा कोपार्सनर होकर 3/4 हिस्सा है। खातेदार गेबा फौत होन से विरासत का नामान्तरकरण संख्या 796 दिनांक 04.01.2008 तहसीलदार गिर्वा द्वारा स्वीकृत किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 अपने पिता की एकमात्र उत्तराधिकारी है, ऐसी स्थिति में अपने पिता के खाते की कृषि भूमि में अपना जीवन यापन का अधिकार रखती है। प्रस्तुत प्रकरण में मृतक खातेदार का पुत्र नहीं होने से हिन्दू विधि के अनुसार मृतक के भाई/भाईयों के पुत्रों की तुलना में ज़ायन्दा पुत्री क्रम में पहले आती है एवं मृतक खातेदार के पुत्र न होने की स्थिति में उसकी विरासत जायन्दा पुत्री के पक्ष में जायेगी। उक्त परिस्थितियों एवं विवेचन के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय–जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.04.2016 विधि सम्मत होने से इसमें हम हस्तक्षेप कराना उचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है तथा जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.04.2016 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर